न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 771/2024

अनवान : –

1. बसन्ती देवी पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. रोशनी पत्नी वेद प्रकाश जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम

1. कमला देवी पत्नी पृथ्वी जाति जाट निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर।
2. कृष्णा पुत्री भंवरलाल जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. सन्तोष कुमार पुत्र बद्रीनारायण जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. महबूब खां पुत्र मुंशीखान जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री भरतसिंह अधिवक्ता **वादी**

निर्णय दिनांकः 28/08/2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 113/103 की कुल 4.2140 हैक्ट भूमि वादीयान व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है वादीयान प0न0 325/445 (74) कि किला न0 8 ता 12 की 1.265 हैक्ट व 19 ता 22 की 1.012 हैक्ट कुल 2.227 हैक्ट भूमि पर वादीयान काश्त करती है व इसलिए कब्जा काश्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादीयान घोषणा की जावें की रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 113/103 की कुल 4.2140 हैक्ट भूमि पक्षकारान के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को जरिये नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:29:09 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर पर जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही। वाद वादीयान प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीयान ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीयान डिकी किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादीयान साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीयान मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीयान मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 113/103 की कुल 4.2140 हैक्ट भूमि वादीयान व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 कमला देवी पत्नि पृथ्वी हिस्सा– 708/1937 जाति– जाट सा. सोती बड़ी खातेदार, राहिन (पूर्ण खाता) राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाचा दीपलाना 2. कृष्णा पुत्री भंवरलाल हिस्सा– 104/1937 जाति– भाट सा. नोहर खातेदार, 3. महबूब खां पुत्र मुंशी खान हिस्सा–417/1937 जाति– मुसलमानकुम्हार सा. नोहर खातेदार, 4. सन्तोषकुमार पुत्र बद्रीनारायण हिस्सा– 708/1937 जाति– भाट सा.नोहर खातेदार, राहिन हिस्सा (पूर्ण खाता) हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, शाखा नोहर – चक 26 डीपीएन तहसील नोहर के प.न. 323/443 मु.न. (42) के कि.न 11/1 की 0.038 गै. मु. रास्ता, कि.न 11/2 की 0.115 बारानी 1, कि.न 12/1 की 0.038 गै.मु. रास्ता, कि.न 12/2 की 0.202 बारानी 1, कि.न 13/1 की 0.013 गै. मु. रास्ता, कि.न 13/2 की 0.2400 बारानी 1, कि.न 14 की 0.2530 बारानी 1, कि.न 15 की 0.2530 बारानी 1, कि.न 16/1 की 0.038 गै.मु.रास्ता, कि.न 16/2 की 0.114 बारानी 1, कि.न 17/1 की 0.038 गै.मु.रास्ता, कि.न 17/2 की 0.057 बारानी 1, कि.न 17/3 की 0.057 बारानी 1, कि.न 18/1 की 0.0260 गै.मु. रास्ता, कि.न 18/2 की 0.1260 बारानी 1, कि.न 19 की 0.1520 बारानी 1, कि.न 20 की 0.1770 बारानी 1, कुल किता 17 कुल क्षेत्रफल 1.937 है. 1.7460 बारानी 1, 0.1910 गै.मु. रास्ता

2 बसन्तीदेवी पत्नि रामचन्द्र हिस्सा– 759/2277 जाति– जाट सा. दीपलाना खातेदार, राहिन (पूर्ण खाता) राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा दीपलाना, 2. रोशनी पत्नि वेदप्रकाश हिस्सा 1518/2277 जाति– .जाट सा. दीपलाना खातेदार, राहिन हिस्सा (पूर्ण बाता) राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा दीपलाना [illegible] 26 डीपीएन तहसील नोहर के प.न. 325/445 मु.न. (74) के [illegible] कि.न 19 ता 22 की 1.012 बारानी 1 कुल किता = 9 कुल क्षेत्रफल 2.2770 है. बारानी 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:29:09 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 28/08/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:29:09 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 771/2024

अनवान : –

1. बसन्ती देवी पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. रोशनी पत्नी वेद प्रकाश जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम

1. कमला देवी पत्नी पृथ्वी जाति जाट निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर।
2. कृष्णा पुत्री भंवरलाल जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. सन्तोष कुमार पुत्र बद्रीनारायण जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. महबूब खां पुत्र मुंशीखान जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 771 सन 2024 निर्णय दिनांक 28/08/2025

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीयान व पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादीयान साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 113/103 की कुल 4.2140 हैक्ट भूमि वादीयान व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 कमला देवी पत्नि पृथ्वी हिस्सा– 708/1937 जाति– जाट सा. सोती बड़ी खातेदार, राहिन (पूर्ण खाता) राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा दीपलाना 2. कृष्णा पुत्री भंवरलाल हिस्सा– 104/1937 जाति– भाट सा. नोहर खातेदार, 3. महबूब खां पुत्र मुंशी खान हिस्सा–417/1937 जाति– मुसलमानकुम्हार सा. नोहर खातेदार, 4. सन्तोषकुमार पुत्र बद्रीनारायण हिस्सा– 708/1937 जाति– भाट सा.नोहर खातेदार, राहिन हिस्सा (पूर्ण खाता) हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, शाखा नोहर – चक 26 डीपीएन तहसील नोहर के प.न. 323/443 मु.न. (42) के कि.न 11/1 की 0.038 गै. मु. रास्ता, कि.न 11/2 की 0.115 बारानी 1, कि.न 12/1 की 0.038 गै.मु. रास्ता, कि.न 12/2 की 0.202 बारानी 1, कि.न 13/1 की 0.013 गै. मु. रास्ता, कि.न 13/2 की 0.2400 बारानी 1, कि.न 14 की 0.2530 बारानी 1, कि.न 15 की 0.2530 बारानी 1, कि.न 16/1 की 0.038 गै.मु.रास्ता, कि.न 16/2 की 0.114 बारानी 1, कि.न 17/1 की 0.038 गै.मु.रास्ता, कि.न 17/2 की 0.057 बारानी 1, कि.न 17/3 की 0.057 बारानी 1, कि.न 18/1 की 0.0260 गै.मु. रास्ता, कि.न 18/2 की 0.1260 बारानी 1, कि.न 19 की 0. 1520 बारानी 1, कि.न 20 की 0.1770 बारानी 1, कुल किता 17 कुल क्षेत्रफल 1.937 है. 1.7460 बारानी 1, 0.1910 गै.मु. रास्ता

2 बसन्तीदेवी पत्नि रामचन्द्र हिस्सा– 759/2277 जाति– जाट सा. दीपलाना खातेदार, राहिन (पूर्ण खाता) राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा दीपलाना, 2. रोशनी पत्नि वेदप्रकाश हिस्सा 1518/2277 जाति– जाट सा. दीपलाना खातेदार, राहिन हिस्सा (पूर्ण बाता) राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा दीपलाना – चक 26 डीपीएन तहसील नोहर के प.न. 325/445 मु.न. (74) के कि.न 8 ता 12 की 1.265 बारानी 1 कि.न 19 ता 22 की 1.012 बारानी 1 कुल किता = 9 कुल क्षेत्रफल 2.2770 है. बारानी 1

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 28/08/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:29:09 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर